फैक्स / आवश्यक

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(1) स.आ./चारा./09/ 3928-3954 जयपुर,दिनांकः 21.3.2009

वास्ते,

जिला कलेक्टर,
अजमेर, बाडमेर,बीकानेर, भीलवाडा,
डूंगरपुर, जैसलमेर,जालोर, जोधपुर,
नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सिरोही।

विषय :– अभाव संवत 2065 में अकाल प्रभावित जिलों में अनुदानित दर पर चारा वितरण करने हेतु चारा डिपो खोलनै हेतु अधिकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त जिलों में पशुपालकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से दिनांक 15 मार्च,09 से निम्नानुसार जिलों के सम्मुख अंकित संख्या में चारा डिपो खोले जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम जिला	मार्च,09	अप्रेल, 09	मई,09	जून,09
1.	अजमेर	जिले द्वारा कोई मांग नहीं है।			
2.	बाड़मेर	124	242	242	242
3.	बीकानेर	26	65	80	80
4.	भीलवाडा	11	38	40	40
5.	डूंगरपुर	7	26	39	39
6.	जैसलमेर	121	236	236	236
7.	जालौर	9	17	17	17
8.	जोधपुर	मांग नहीं	4	4	4
9.	नागौर	जिले द्वारा कोई मांग नहीं है।			
10	पाली	8	16	16	16
11.	राजसमंद	9	17	17	17
12.	सिरोही	3	5	5	5
	योगः	318	666	696	696

अभावग्रस्त जिलों में पशुपालकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के संबध में विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशो निर्देशो के क्रम में पुनः निम्न प्रकार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. जिन जिलों में चारा डिपो खोले जाने हैं, जिला कलेक्टर द्वारा डिपो का संचालन पंचायत, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को चलाये जाने की स्वीकृति दी जावे और यदि उक्त में से कोई ऐजेंन्सी डिपो संचालन हेतु उत्सुक न हो तो जिले में कार्यरत स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से डिपो संचालन की अनुमति प्रदान की जावे। डिपो पर चारा संस्था द्वारा पडौसी राज्यों से आयात कर वितरित किया जावे तथा चारे का वितरण पशु पालक को बिना लाभ बिना हानि के आधार पर किया जावे। चारा वितरण करने से पूर्व चारे की विक्रय दरों का निर्धारण इस विभाग द्वारा पूर्व में आपको

प्रेषित की गई आपदा प्रबंधन एवं सहायता निर्देशिका तथा सूखा प्रबंधन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप किया जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि विक्रय दर निर्धारण करते समय दर में 10 रूपये प्रति क्वि. जोड़े जाकर दर का निर्धारण किया जावे तथा इसके अतिरिक्त डिपो संचालक को किसी प्रकार की चारे की छीजत प्रशासनिक व्यय तथा तुलाई इत्यादि की व्यवस्था पर होने वाला व्यय संस्था द्वारा ही वहन किया जावेगा तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई सुविधा नहीं दी जावेगी। डिपो का संचालन करने वाली संस्था को 50,000/– रूपये प्रति चारा डिपो के हिसाब से कार्यशील पूँजी के रूप में ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जावे इस हेतु राशि की मांग अविलम्ब विभाग को प्रेषित करावें।

2. जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि चारा डिपो से विक्रय किये जाने वाले चारे का प्रमाणीकरण समय–समय पर डिपो पर उपलब्ध आवश्यक रिकार्ड से कराते रहें तथा क्षेत्र में चारे की मांग को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जावे।

चारा डिपो का निर्धारण एवं निरीक्षण

(i) चारा वितरण के लिए चारा डिपो की स्वीकृति जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जावे, ऐसा अधिकारी अति.कलेक्टर के स्तर से कम का नहीं हो।

(ii) चारा डिपो का निरीक्षण जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि द्वारा 15 दिन में एक बार अवश्य किया जावे तथा निरीक्षण रिपोर्ट सहायता विभाग को भिजवाई जावे।

(iii) चारे के वितरण की तस्दीक पटवारी अथवा सरपंच/उपसरपंच अथवा ग्राम सेवक से कराई जावे।

चारा डिपो के निरीक्षण बाबत

चारा डिपो संचालित किये जाने वाले स्थलों का समय समय पर जिला कलेक्टर/ अति. जिला कलेक्टर, विकास अधिकारी, सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा निरीक्षण किया जावे। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से सुनिश्चित किये जावें।

1 तहसीलदार/विकास अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्रों में संचालित केन्द्रों में से कम से कम 25 प्रतिशत केन्द्रों का माह में एक बार निरीक्षण किया जावे।

2 उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड में संचालित केन्द्रों में से कम से कम 10 प्रतिशत केन्द्रों का माह में एक बार निरीक्षण किया जावे।

3 अतिरिक्त कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद/ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा सम्मिलित रूप से जिले में संचालित 5 प्रतिशत केन्द्रों का माह में एक बार निरीक्षण किया जावे।

4 जिला कलेक्टर द्वारा केन्द्रों के निरीक्षण हेतु कोई प्रतिशत तय नहीं किया गया है किन्तु राज्य सरकार यह अपेक्षा करती है कि वे भी अधिक से अधिक केन्द्रों का निरीक्षण करें।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालन सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय,

उप शासन सचिव